न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 542/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

अमरजीतसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

---वादी---

वनाम

1. मूर्तिकौर पुत्री अमरजीतसिंह जटसिख साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. सुखपालसिंह पुत्र सरजीतसिंह (पति स्व.लखविन्द्रकौर) जाति जटसिख साकिन सहजीपुरा
3. गुरसाहेबसिंह पुत्र स्व.लखविन्द्रकौर पत्नी सुखपालसिंह जाति जटसिख साकिन सहजीपुरा
4. अमनदीपकौर पुत्री स्व.लखविन्द्रकौर पत्नी सुखपालसिंह जाति जटसिख साकिन सहजीपुरा
5. सुखदीपकौर पुत्री स्व.लखविन्द्रकौर पत्नी सुखपालसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

---प्रतिवादीगण---

उपस्थित :–

1. श्री औमप्रकाश शर्मा – वकील वादी
2. श्री कन्हैयालाल स्वामी – वकील प्रति.सं. 1 ता 5

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के मृतक पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र अमरजीतसिंह के नाम से तहसील संगरिया में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 अनुसार चक नंबर 1 एन.के. आर. खाता सं. 62/9 में योग खाता 5.060 है0 में से 1/4 हिस्सा की कुल 1.265 है0 तथा मुताबिक चक नम्बर 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 19/90 में 1.012 है0 नहरी खातेदारी भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड अभिलेख में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है।

चक नम्बर	खाता सं.	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
1 एनकेआर	62/9	162/143	35	11 ता 15, 21 ता 25/2.530
		162/144	44	6–7–11–12–13/1.265
		163/143	34	10–11–12–19–20/1.265

कुल क्षैत्रफल–5.060 है0 नहरी मय गै0मु0

चक नम्बर	खाता सं.	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
8 ए.एम.पी.	19/90	155/150	16	1–2–9–10/1.012

कुल क्षैत्रफल–1.012 है0 नहरी मय गै0मु0

वादी के पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र अमरजीतसिंह के नाम से दावा की दफा दो में दर्ज आराजी मुझ वादी द्वारा खरीद करके अपने पुत्र गुरचरणसिंह के नाम करवाई थी अब गुरचरणसिंह का देहान्त दिनांक 09/04/22025 को हो चुका है तथा गुरचरणसिंह की माता व मुझ वादी की पत्नी हरबसकौर का भी देहान्त हो चुका है। उक्त गुरचरणसिंह के कोई औलाद नहीं थी वे ला औलाद फोत हो चुके है जिनके विधिक वारिस दावा के पहरा संख्या 2 में वर्णित वंशालवली अनुसार मैं वादी व मेरी सगी पुत्री एवं एक सगी मृतक पुत्री के विधिक वारिस ही है इस प्रकार अब उक्त गुरचरणसिंह के नाम भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ही विधिक वारिस है जो उक्त भूमि के मुश्तहक एवं दावेदार है। वादी के मृतक पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र अमरजीतसिंह के नाम भूमि मुताबिक हिन्दु मिताक्षरा विधि अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 विधिक वारिस है, लेकिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहते उन्होने अपने–हिस्सा की भूमि के पक्ष में छोड दी है अब गुरचरणसिंह के नाम कुल भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसे जरिये घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी की आय का श्रोत उक्त कृषि भूमि ही है लेकिन उक्त भूमि वादी के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। वादी उक्त भूमि पर किसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है तथा प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई तो वे उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वारिसान की हेसियत से अपने नाम दर्ज करवा भूमि को रहन बैय एवं खुर्द–बुर्द कर सकते है इन हालात में वादी अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण संख्यां 1 से 5 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 दफा दो में दर्ज भूमि को अपने नाम कराने तथा भूमि को रहन–बैय एवं मुन्तकिल करने से ममनू व बाज रहे। वादी ने प्रतिवादीगण को पिछले सप्ताह कहा कि वे वादी को दावा की पहरा सं. 2 में वर्णित गुरचरणसिंह के नाम की कुल भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करा देवे तथा भूमि को रहन बैय नहीं करे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 6 भूँ–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया जिनके खिलाफ कोई सापेक्ष अनुतौष नहीं है। दावा बाबत इस्तकरार हक एवे शाश्वत् व्यादेश का है जो 4/रू. के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है तथा मान्निय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में व अन्दर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी अपने सगे मृतक पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र अमरजीतसिंह के नाम चक नंबर 1 एन.के.आर. खाता सं. 62/9 में कुल 1.265 है0 तथा चक नम्बर 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 19/90 में कुल 1.012 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसी अनुसार उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मृतक पुत्र गुरचरणसिंह पुत्र अमरजीतसिंह का नाम कलमजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि चक नम्बर 1 एन.के.आर. खाता संख्या 62/9 में कुल 1.265 है0 तथा चक नम्बर 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 19/90 में कुल 1.012 है0 भूमि को ता फैसला प्रतिवादी भूमि रहन, बैय, व अन्य किसी तरिके से अंतरित एवं मुन्तकिल करने से निषेध रहे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा खर्चा दावा दिलावे तथा अन्य कोई अनुतोष करिने इन्साफ बहक वादी हो तो दिलाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी अमरजीत सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 62/9 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 8 एएमपी खाता संख्या 19/90 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दीयो की प्रति तथा मृत्यु प्रमाण पत्र गुरचंरण सिह पुत्र अमरजीत सिह, लखविन्द्र सिह पत्नी सुखपाल सिह, हरबंस सिह पत्नी अमरजीत सिह पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 62/9 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 8 एएमपी खाता संख्या 19/90 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में मृतक गुरचंरण सिह पुत्र अमरजीत सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 62/9 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 8 एएमपी खाता संख्या 19/90 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दीयो की प्रति तथा मृत्यु प्रमाण पत्र गुरचरण सिह पुत्र अमरजीत सिह, लखविन्द्र सिह पत्नी सुखपाल सिह, हरबंस सिह पत्नी अमरजीत सिह की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार मृतक गुरचरण सिह पुत्र अमरजीत सिह के नाम चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 62/9 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 8 एएमपी खाता संख्या 19/90 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में उक्तनुकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 62/9 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 8 एएमपी खाता संख्या 19/90 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 मे मृतक गुरचरण सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी अमरजीत सिह पुत्र कर्मसिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक गुरचरण सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया